न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2794/2006/दौसा

1– रामकिशन पुत्र बालचंद

2– रामस्वरूप पुत्र बालचंद

3– नवल किशोर पुत्र बालचंद

4– राजेन्द्र कुमार पुत्र सुखसिंह

5– मुकेश कुमार पुत्र सुखसिंह

6– मनोज सिंह पुत्र रामसिंह

7– मनीषसिंह पुत्र रामसिंह

8– रामपति बेवा रामसिंह

9– अशोक कुमार पुत्र रामखिलाड़ी

10– अनिल कुमार पुत्र रामखिलाड़ी

समस्त जाति गूर्जर निवासी श्यालावास तहसील बसवा जिला दौसा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

भारत संघ जरिये वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर उत्तरी पश्चिमी रेल्वे जयपुर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

–

निर्णय

दिनांकः 23–04–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील सं0 18/2005 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, बांदीकुई के न्यायालय में अपीलार्थीगण ने एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–03–2005 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2006 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वे दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वितीय अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त निर्णय व डिक्री अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर पारित किए गए है। उनका तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को खातेदार माना है तथा उनका कब्जा काश्त भी माना है अर्थात जब उन्हें खातेदार काश्तकार माना जा रहा है तो प्रथम अपील स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी। प्रत्यर्थी ने दस्तावेज काफी देरी से पेश किए है तथा देरी से पेश करने का कोई कारण भी नहीं दर्शाया है फिर भी दस्तावेज पेश करने के प्रा0 पत्र को स्वीकार कर व उसके आधार

पर ही प्रथम अपील को स्वीकार कर निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है तथा निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का वाद पूर्णतया साबित था फिर भी प्रथम अपील न्यायालय ने प्रथम अपील मंजूर कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग किया है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि जिस भूमि बाबत् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को पाबंद किया, वह भूमि रेल्वे की सीमा में आती है। रेल्वे ट्रेक के मध्य से दोनों तरफ 250 फुट की दूरी तक भूमि रेल्वे की सीमा क्षैत्र में आती है, यह तथ्य रेल्वे एक्ट 1889 में सेक्शन 231में उल्लेखित है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है। उनका तर्क था कि उन्होंने आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के साथ लेण्ड प्लान पेश किया, जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लिया गया है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय उचित व विधिसम्मत् है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई उचित आधार नहीं है। अतः द्वितीय अपील अस्वीकार की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 24–01–2006 के द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने का आदेश दिया है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश को किसी पक्ष द्वारा चुनौति नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में जब यह अतिरिक्त दस्तावेज अभिलेख पर ले लिए गए है तो इन दस्तावेजों का प्रभाव प्रकरण पर क्या होगा तथा उभय पक्ष

इन दस्तावेजों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगें तो उस पर किसी साक्ष्य की आवश्यकता होगी अथवा नहीं यह सभी बिन्दू विचारण न्यायालय के समक्ष ही निर्धारित किए जा सकेंगे। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटिकारित नहीं की है। हमारी राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है तथा उनके द्वारा प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित आधार नहीं है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य